न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती निमिषा गुप्ता ,आर ए एस

अपील संख्या– एल आर ए/320/2017

उनवान

1. हीरा लाल आत्मज चंपा लाल गुर्जर निवासी सगरेव, ग्राम पंचायत सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. लादू लाल आत्मज हीरा लाल गुर्जर निवासी जगपुरा पटवार हल्का सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3. सुखलाल आत्मज छोगा लाल गुर्जर निवासी जगपुरा पटवार हल्का सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4. कन्हैया लाल आत्मज भैरा गुर्जर निवासी जगपुरा पटवार हल्का सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5. मुकेश आत्मज शिव लाल वैष्णव निवासी जगपुरा पटवार हल्का सगरेव, तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

अपीलाण्ट्स

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर, जिला भीलवाडा
2. पुलिस थाना रायपुर जरिये थानाधिकारी, पुलिस थाना रायपुर जिला भीलवाडा

प्रत्यर्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम अपील विरूद्व जिला कलक्टर, भीलवाडा के प्रकरण संख्या एफ 12–3(1) (रायपुर)(14) आरए/2017/3072

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

निर्णय दिनांक 4.5.2017

अभिभाषक : 1. श्री दिनेश चन्द्र बापना , अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2. श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 25.1.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, रायपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार ग्राम जगपुरा ग्राम पंचायत सगरेव तहसील रायपुर जिला भीलवाडा स्थित आराजी नम्बर 343 बिलानाम किस्म गैर मुमकिन भटवेड कुल रकबा 0.81 हे0 में से 0.75 हे0 भूमि अधीनस्थ न्यायालय/कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाडा द्वारा दिनांक 4 मई 2017 द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम (स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाओं एवं अन्य जनोपयोगी हेतु सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1963 के तहत पुलिस थाना रायपुर तहसील रायपुर को भवन निर्माण हेतु सशर्त आवंटित की। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने न्यायालय हाजा में प्रथम अपील प्रस्तुत की है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 10.8.2017 को हुई जब मौके पर राजकीय कर्मचारी भूमि का नाप करने आये तब जानकारी हुई। तो ग्राम जगपुरा की आराजी नम्बर 343 बाबत पटवारी हल्का से दिनांक 25.8.2017 को जमाबंदी की नकल प्राप्त की एवं दिनांक 18.9.2017 को अधीनस्थ न्यायालय में नकल

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

हेतु आवेदन पेश किया । जिसकी नकल दिनांक 10.10. 2017 को प्राप्त होते ही अविलम्ब अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जावे।

4. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय द्वारा ग्राम जगपुरा में पुलिस थाना रायपुर के नाम आराजी नम्बर 343 रकबा 0. 75 हे0 भूमि पुलिस थाना रायपुर के नाम आवंटित की है। उक्त अपीलाधीन आदेश कानून एवं तथ्यो व प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है।

5. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थीगण ग्राम जगपुरा व ग्राम पंचायत सगरेव के जागरूक नागरिक होकर अपने व ग्रामवासियान के हितार्थ अपील प्रस्तुत करने का अधिकार रखते हैं। वादग्रस्त आराजी नम्बर 343 भूमि बिलानाम भूमि के रूप में राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड थी, जिस भूमि के पास राजकीय मॉडल स्कूल संचालित हो रहा है । उक्त आराजी नम्बर 343 की भूमि आबादी के मध्य होकर उक्त भूमि छात्रों के खेलकूद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम हेतु उपयोग में आ रही है तथा भविष्य में स्कूल विस्तार हेतु भी उक्त भूमि स्कूल के पास होने से उपयोगी भूमि है। ग्राम जगपुरा के निवासियों के लिए सार्वजनिक उपयोग उपभोग की भूमि होकर सामाजिक कार्यक्रम हेतु भी उपयोग में आती है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त उपयोगिता को दरकिनार कर एवं बिना जांच पडताल किए बिना ग्रमवासियान की सहमति प्राप्त किये प्रत्यर्थी संख्या 2 पुलिस थाना रायपुर के नाम पर आवंटित करने का अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो विधि विपरीत होकर खारिज योग्य है।

6. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि ग्राम केमुनिया पटवार क्षेत्र रायपुर तहसील रायपुर की

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

आराजी नम्बर 2127/1724 रकबा 0.80 हे0 भूमि पूर्व में ही पुलिस थाना हेतु आवंटित है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना जांच पडताल किये एवं उपयोगिता के बिन्दु को नजर अंदाज करते हुए ग्राम जगपुरा में पुलिस थाना हेतु और भूमि आवंटित कर सर्वथा विधि विपरीत निर्णय पारित कर खेल प्रतिभाओं के खेद मैदान की भूमि छीन कर छात्रों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह खडा कर दिया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन किये जाने से पूर्व आवंटन नियमों एवं प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

8. प्रत्यर्थीगण की ओर से जवाब दिनांक 23.1.18 को पेश किया गया । दोनों प्रत्यर्थीगण द्वारा अपील के जवाब में अंकन किया गया कि उक्त आवंटन आदेश से पूर्व संपूर्ण प्रक्रिया नियमानुसार पूर्णरूपेण की गई। ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा प्रस्ताव एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया । पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। जिसमें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त हुई। मॉडल स्कूल के नाम 04 हे0, भूमि पूर्व में ही दर्ज होकर दो मंजिला भवन बना है एवं शेष भूमि खेल मैदान के उपयोग में आ रही है। आसपास में कोई आबादी भूमि नहीं है। पूर्व में ग्राम केमूनिया में पुलिस थाना हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है परन्तु उक्त भूमि आवास व भवन के लिए पर्याप्त नहीं होने से यह भूमि आवंटित की गई है। आकस्मिक घटना घटित होने पर वर्तमान मे आवंटित भूमि के पास नाकाबंदी हेतु उपयुक्त जगह है। पूर्व में आवंटित

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

भूमि रायपुर थाना क्षेत्र से महज 01 किलोमीटर दूरी पर ही समाप्त हो जाती है। साथ ही राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम भूमि दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि का आवंटन नियमों के अधीन किया गया है। जो विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

9. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । अपीलार्थीगण ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद मानने का निवेदन किया । अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है।

10. उपखण्ड अधिकारी, रायपुर ने अपने पत्रांकःराजस्व/2017/507 दिनांक 11.4.2017 के द्वारा पुलिस थाना रायपुर भवन के लिए सुरास चौराहा पर भूखण्ड आवंटित करने बाबत मूल पत्रावली अभिशंषा सहित अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित की गई थी। जिसमें वादग्रस्त आराजी नबर 343 मौजा जगपुरा बाबत जांच एवं मौका रिपोर्ट तहसीलदार रायपुर से प्राप्त की गई है। वादग्रस्त भूमि का पुलिस थाना रायपुर के नाम आवंटन किये जाने बाबत ग्राम पंचायत सगरेव द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न है। ग्राम पंचायत द्वारा जनसुनवाई दिनांक 31.3.2017 के प्रस्ताव संख्या 1 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। वक्त आवंटन वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज रेकार्ड थी। जिसका आवंटन

भू. प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व आवंटन (स्कूल, कॉलेज, धर्मशालाओं, एवं अन्य जनोपयोगी हेतु सरकारी भूमि का आवंटन) नियम 1963 के अन्तर्गत पुलिस थाना रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा को सशर्त किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब से भी स्पष्ट है कि पूर्व में आवंटित भूमि को इस हेतु उपयुक्त नहीं माना जा सकता । अतः आवंटन आदेश दिनांक 4.5.2017 विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

11. अतः अपील अपीलार्थीगण सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.5.2017 को यथावत रखा जाता है।

12. निर्णय आज दिनांक 25.1.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

25/1/19

(निमिषा गुप्ता)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा